# <u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 11 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 13 / 01 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504004072014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

### वि रू द्व

पंजू पिता हरिप्रसाद बेले, उम्र 36 वर्ष निवासी हसलपुर, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

## <u>-: ( नि र्ण य ) :-</u>

## (आज दिनांक 24.10.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 08. 01.2014 को समय दोपहर करीब 01:15 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम हसलपुर तिरहा में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 2 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंधन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.01. 2014 को उप निरीक्षक टी.आर. धुर्वे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति हसलपुर तिराहा पर हाथ्झ में छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ एफ रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम पंजू पिता हरिप्रसाद बेले बताया तथा हथियार रखने बाबत कोई कागजात नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 17/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में

### अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.01.2014 को समय दोपहर करीब 01:15 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम हसलपुर तिरहा में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 2 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि वह दिनांक 08.01.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को टीआर धुर्वे थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे और उसने उनके साथ कार्य किया है तथा वह उनके हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हैं। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 08.01.2014 को टीआर धुर्वे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त हसलपुर तिराहे पर हाथ में छुरी लिए लोगों को उरा रहा है जिस पर टीआर धुर्वे ने हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचकर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श पी—1) जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था तथा थाने वापस आकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—5) लेखबद्ध की थी। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर टी.आर. धुर्वे के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

6 बलीराम (अ.सा.—1) एवं शिवचरण (अ.सा.—2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी बलीराम (अ.सा.—1) एवं शिवचरण (अ.सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण के विवेचक साक्षी टी.आर. धुर्वे के फौत हो जाने के कारण उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियों को साक्षी गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—3) द्वारा प्रमाणित किया गया है। अभिलेख पर गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 8 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि टी.आर. धुर्वे ने मौके पर अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त की और जप्ती पत्रक तैयार किया तथा उसे गिरफ्तार किया। उपर्युक्त प्रपत्रों पर उनके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जिस पर भी उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि प्रकरण में उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उसे टी.आर. धुर्वे के फौत हो जाने के कारण उनके हस्ताक्षर से परिचित होने के कारण साक्ष्य हेतु निर्देश मिलने पर उपस्थित हुआ है। साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक में नमूला सील नहीं लगी है और किस चीज से आयुध का नाप किया गया वह भी लेख नहीं है।
- 9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से मौके पर छुरी जप्त कर उसे सीलबंद किया गया हो तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में गिरफ्तारी के समय में ओव्हर राईटिंग की गयी है। उक्त दोनों ही प्रपत्रों में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। प्रकरण में रवानंगी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक के अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि आयुध की नापजोप किससे की गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.01.2014 को समय दोपहर करीब 01:15 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम हसलपुर तिरहा में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 2 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-

6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त पंजू को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)